पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनॉक– 14.09.06 के प्राविधानों के अनुपालन में लखनऊ शहर से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन एवं सुरक्षित निपटान हेतु उ0प्र0 जल निगम सी0 एण्ड डी0एस0, लखनऊ द्वारा सेनिटरी लैण्डफिल एण्ड कम्पोस्टिंग की साईट, ग्राम– दशहरी, हरदोई रोड–लखनऊ में चयनित 98 एकड़ भूमि पर पर्यावरर्णीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु दिनॉक– 30.12.09 को सम्पन्न लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त प्रस्तावित नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन एवं निपटान हेतु उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा सेनिटरी लैण्डफिल एण्ड कम्पोस्टिंग साइट का निर्माण ग्राम– दशहरी, जो लखनऊ–हरदोई रोड से 2.0 कि0मी0 दक्षिण में, हरदोई रोड, लखनऊ पर प्रस्तावित है । प्रस्तावित स्थल – ग्राम दशहरी 26° 51' उत्तरी अक्षांश तथा 80° 49' पूरब देशांतर पर लखनऊ हरदोई मार्ग के 13वें कि0मी0 से 2.0 कि0मी0 दक्षिण दिशा में स्थित है । प्रस्तावित स्थल के सन्निकट दक्षिण में लखनऊ–हरदोई रेल लाईन, हाईटेन्सन लाईन एवं 3.0 कि0मी0 पश्चिम में काकोरी रेलवे स्टेशन स्थित है ।

उक्त परियोजना का प्रस्ताव उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा नगर निगम लखनऊ हेतु, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है । तत्क्रम में राज्य बोर्ड द्वारा भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533, दिनॉक– 14.09.2006 की अनुसूची में उल्लिखित 7 (आई) के अनुपालन में, उक्त परियोजना को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के आशय से पर्यावरणीय क्लीयरेन्स हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना दिनॉक– 28.11.09 को दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ संस्करण एवं हिन्दुस्तान टाईम्स दिनांक 29.11.09 (राष्ट्रीय) में प्रकाशित करायी गयी, जिसके माध्यम से जन–साधारण को सूचित केन्द्रों पर दिनॉक 29.12.09 से पूर्व सुझाव/आपत्तियॉ प्रेषित करने हेतु सूचित किया गया । निर्धारित अवधि में प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में नगरीय अपशिष्ठ के निपटान सम्बन्धी सूचित प्रस्ताव पर कोई लिखित अथवा मौखिक आपत्ति/सुझाव किसी भी माध्यम से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रस्तावित परियोजना में अगले 25 वर्षों हेतु लखनऊ शहर से जनित लगभग 1198 टन/दिन नगरीय ठोस अपशिष्ठ के सुरक्षित निस्तारण हेतु 500 टन/दिन क्षमता का कम्पोस्टिंग प्लाण्ट लगाने एवं शेष नान बायोडिग्रेडिविल अपशिष्ठ को लैण्डफिल में निस्तारित करने हेतु लैण्डफिल/कम्पोस्टिंग साईट बनाये जाने का प्राविधान है । इस परियोजना हेतु ग्राम– दशहरी, रायपुर, मजरे सलेमपुर एवं सिकरोरी की 98 एकड़ भूमि

का अधिग्रहण किया जा रहा है । उक्त भूमि में से 84 एकड़ लैण्डफिल हेतु 5.0 एकड़ उत्प्रवाह (लीचेट) शुद्धीकरण संयंत्र हेतु एवं 9.0 एकड़ हरित पट्टिका व अन्य सुविधाओं हेतु प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है । परियोजना की कुल लागत रूपये 42.92 करोड़ है, जिसमें 16.6 करोड़ धनराशि नगरीय ठोस अपशिष्ठ के एकत्रण, अस्थायी भण्डारण एवं परिवहन हेतु तथा रूपये 26.32 करोड़ सेनिटरी लैण्डफिल साइट व सम्बन्धित अन्य आवश्यक सुविधाओं हेतु स्वीकृत है । परियोजना में नगरीय ठोस अपशिष्ट में से पुनः चक्रीकरण योग्य पदार्थ (17 प्रतिशत) पृथक कर पुनः चक्रण हेतु बेचा जाना प्रस्तावित है । 36 प्रतिशत जैव अविघ्रटनीय पदार्थ है, को लैण्डफिल साइट में निस्तारित किया जायेगा । शेष 47 प्रतिशत जैव विघटनीय अपशिष्ट की कम्पोस्टिंग का कार्य चयनित स्थल पर (500 टन/दिन) कर, जैविक खाद बनाकर बेचा जाना प्रस्तावित है । कम्पोस्टिंग प्लाण्ट की क्षमता 500 टन प्रतिदिन (250 टन X 2) प्रस्तावित है ।

प्रस्तावित परियोजना के लैण्डफिल साईट/कम्पोस्टिंग साइट से लगभग 480 घनमीटर प्रति घण्टा प्रदूषित लीचेट उत्पन्न होना अनुमानित है, जिसे एक सम्प के माध्यम से एकत्रित कर उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र में शुद्धीकृत किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र हेतु 5.0 एकड़ भूमि प्रस्तावित है । शुद्धीकृत उत्प्रवाह को स्थल के चारों ओर 5.0 मी0 चौड़ी (लगभग 3.3 एकड़ में) प्रस्तावित हरित पट्टिका के विकास एवं कम्पोस्टिंग कार्य में प्रयोग किये जाने के साथ–साथ शेष शोधित उत्प्रवाह परिसर से बाहर निस्तारित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं दुर्गन्ध नियंत्रण हेतु सम्भव प्राविधान परियोजना में किया गया है ।

दिनॉक– 30.12.09 को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) लखनऊ की अध्यक्षता में लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रस्तावित स्थल ग्राम–दशहरी, हरदोई रोड, लखनऊ पर अपरान्ह 2.0 बजे प्रारम्भ की गयी । अध्यक्ष महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित ग्रामीणों एवं अन्य सम्मानित व्यक्तियों का स्वागत करते हुये लखनउ शहर से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन एवं निस्तारण हेतु स्थल पर लोक सुनवाई का आयोजन किये जाने का विवरण देते हुये परियोजना प्रस्तावकों से परियोजना से संबंधित विवरण तथा कियान्वयन के दौरान सम्भावित जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण तथा उसके नियंत्रण हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था के सम्बन्ध में विवरण उपस्थित ग्रामीणों एवं अन्य को बताने हेतु अनुरोध किया गया।

परियोजना प्रस्तावकों की तरफ से परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से डा0 एम.एम. लाल द्वारा सम्भावित प्रदूषण एवं उसके निराकरण हेतु प्रस्तावित निदान का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया तथा यह भी जनता जनार्दन को अवगत कराया गया कि कूड़े को बन्द गाड़ी के माध्यम से लखनऊ शहर से स्थल पर लाकर पुनः चकणीय अपशिष्टों को अलग किया जायेगा तथा शेष को आवश्यक पृथर्क्कीकरण के उपरान्त लैण्डफिल/कम्पोस्टिंग हेतु प्रयोग किया जायेगा एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट के

30/12

प्रंसकरण के दौरान जनित प्रदूषित लीचेट को शुद्धीकृत करने हेतु आवश्यक उपाय किया जाना प्रस्तावित है। लैण्डफिल क्षेत्र से जनित प्रदूषित गैसीय उत्सर्जकों को जी.आई. पाइप के माध्यम से उचित उंचाई पर निस्तारित किया जायेगा। भूगर्भ जल दूषित न हो, के सम्बन्ध में लैण्डफिल एरिया नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रण क्षेत्र एवं कम्पोस्ट क्षेत्र की यथोचित लाइनिंग कराई जायेगी। दुर्गन्ध नियंत्रण हेतु हरित पट्टिका का प्रस्ताव एवं एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट पर विशेष प्रकृति का हर्बीसाइट प्रयोग किये जाने की सूचना (प्रस्तावानुसार) दिया गया।

परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण के उपाय बताने के उपरान्त लोक सुनवाई में उपस्थित ग्रामीणों / जनसाधारण से परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव व्यक्त करने हेतु (लोक सुनवाई पैनल के अध्यक्ष की अनुमति से) अनुरोध किया गया । जिसके उपरान्त उपस्थित ग्रामीणों द्वारा निम्नलिखित आपत्तियॉ व सुझाव व्यक्त किया गया ।

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह, मजरा रायपुर, ग्राम दशहरी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु प्रयोग में लाये जाने वाली भूमि में अधिकांशतः उपजाऊ जमीन होना बताया गया, जिससे ग्रामीणों का जीविकोपार्जन होता है । नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं निस्तारण हेतु प्रस्तावित भूमि कृषि योग्य भूमि बताया गया है तथा लैण्डफिल एवं कम्पोस्टिंग की स्थापना आबादी के सन्निकट किये जाने की आशंका व्यक्त करते हुये सम्भावित प्रदूषण के कारण परियोजना का विरोध किया गया।

श्री कौशलेन्द्र सिंह के प्रश्न के सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि कूडे का निस्तारण वैज्ञानिक विधि से कराया जायेगा तथा जल, वायु, मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु उचित व्यवस्था स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

सुनवाई के दौरान लोक सुनवाई पैनल के अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित ग्रामीणों से अनुरोध किया गया कि बारी–बारी से जिसे इस परियोजना की स्थापना के सम्बन्ध में आपत्ति है अथवा कोई सुझाव है, अपने बिन्दुओं को परियोजना प्रस्तावकों को नोट करा दिया जाये ताकि बिन्दुवार प्रश्नों का उत्तर परियोजना प्रस्तावकों द्वारा दिया जा सके ।

ग्रामीणों द्वारा उठायी गयी आपत्ति एवं सुझाव का बिन्दुवार का ब्यौरा निम्नवत् है :–

1– श्री कौशलेन्द्र सिंह, मजरा रायपुर, ग्राम दशहरी द्वारा कहा गया कि उक्त प्लान्ट की स्थापना दशहरी गॉव में न किया जाये क्योंकि यहॉ पर खेती में प्रयुक्त यूरिया का कुप्रभाव भूमि के 40 फिट अन्दर तक पहुँच गया है तो ऐसे में कचरे के निस्तारण से जनित प्रदूषित जल का काफी भयानक कुप्रभाव पड़ेगा तथा यदि जल प्रदूषण से महामारी फैलती है तो इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन किस प्रकार की कार्यवाही करेगा। इसी अनुक्रम में श्री

30/12

कौशलेन्द्र सिंह द्वारा कहा गया कि यह गॉव "दशहरी आम" के कारण जाना जाता है तथा इस परियोजना के लगने से सारे आम के बाग नष्ट हो जायेंगे। अतः इस सम्बन्ध में क्या उपाय है।

पुनः श्री कौशलेन्द्र सिंह द्वारा आंशका व्यक्त किया गया कि कूडें की इस परियोजना कि स्थापना रायपुर गॉव के भीतर तक किया जायेगा जिसमें गॉव के मकानों को भी तोडे जाने कि आंशका व्यक्त किया तथा यह सुझाव दिया गया कि इस परियोजना को गॉव से कम से कम 500 मी दूर बनाया जाये।

2. श्री मनोज कुमार यादव, मजरा रायपुर द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कृषि योग्य/खाली जमीन पर ग्रामीणों द्वारा शौच कियायें की जाती हैं तथा इस प्लान्ट के स्थापित होने से ग्रामीणों को शौच की असुविधा होगी अतएव सुझाव दिया गया कि गॉव में सुलभ शौचालय की स्थापना की ज़ानी चाहिये तथा श्री यादव द्वारा यह भी आशंका व्यक्त की गई कि यदि यह परियोजना स्थापित होगी तो गॉव दशहरी, रायपुर एवं मजरे सलेमपुर से बरसात के दिनों में जल निकासी की समस्या उत्पन्न होगी तथा आसपास जल भराव होगा। इसके निदान हेतु प्रस्तावित कार्यवाही क्या होगी तथा यह भी चाहा गया कि सरकार इस बात का लिखित प्रमाण दे कि इस प्लान्ट के संचालन से प्रदूषण नहीं होगा।

3. श्री शिवलाल गौतम रायपुर द्वारा प्लांट कें सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि कूडे के एकत्रण से आस पास बदबू फैलेगी तथा बीमारी फैलने कि आंशका व्यक्त कि गई एवं श्री गौतम द्वारा यह भी जानने की अपेक्षा की गई कि इस प्लाट के संचालन से निकलने वाले पानी कि निकासी किस प्रकार एवं किस तरफ की जायेगी ? श्री गौतम द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि हम ग्रामीणो के बीमारी के उपचार हेतु सरकार गॉव में एक अस्पताल की स्थापना कराये ।

4. श्री सुरेश यादव ग्राम– सलेम पुर पतोरा द्वारा लखनउ शहर के दुबग्गा क्षेत्र में कूडे से बिजली पैदा करने वाले प्लांट के आस–पास निस्तारित कूडे से जनित प्रदूषण का हवाला देते हुये, आपत्ति दर्ज कि गयी कि इस परियोजना के संचालन से प्रदूषण फैलेगा तथा हमारी उपजाऊ जमीन जिससे हम सबका जीविकोपार्जन होता है पूरी तरह से नष्ट हो जायेगी। अतएव इस परियोजना को दशहरी गांव से लगभग 10 किलोमीटर कि दूरी पर आबादी क्षेत्र से दूर उसर जमीन पर स्थांनन्तरित किया जाये ।

5. श्री बनवारी लाल, ग्राम दशहरी द्वारा बताया गया कि हम गांव वाले गरीब किसान है तथा गांव की उपजाऊ जमीन है (जिस पर कूडे की यह परियोजना स्थापित किया जाना है) से हम गांव वाले कई चक्र में, साल भर आलू, प्याज,बैगन,गेहू व अन्य सब्जियों का उत्पादन कर के अपना गुजर बसर करते है जो इस परियोजना की स्थापना से नष्ट हो जायेगा।

30/12

उपरोक्त वर्णित पॉचों बिन्दूओ पर परियोजना प्रस्तावक के पर्यावर्णीय सलाहकार डा0 एम0एम0 लाल (रिटायर्ड उपनिदेशक आई0टी0 आर0 सी0 लखनऊ) एवं श्री राकेश गौड. तकनीकी सलाहाकार कास्ट्रक्शंन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जलनिगम द्वारा बिन्दुवार उत्तर देते हुये अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना में भूगर्भ जल प्रदूषण को रोकने हेतू जमीन पर लाईण्ड प्लेटफार्म, पक्की नालियां, जलप्रदूषण नियंत्रण संयन्त्र की स्थापना की जायेगी तथा यह भी बताया गया कि कूडे से कम्पोस्ट खाद बनायी जायेगी तथा बदबू के नियंत्रण हेतू विशेष प्रकार के हरबीसाइट का इस्तेमाल किया जायेगा जिसमे बदबू कि समस्या का समाधान हो सकेगा।

पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा ग्रामीणो के प्रश्नो के सम्बन्ध में दिये जा रहे उत्तर पर ग्रामीणों द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुये पुनः परियोजना का विरोध किया गया जिस पर लोग सुनवाई के अध्यक्ष की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जल निगम के पर्यावरणीय एवं तकनीकी सलाहाकारो से यह अपेक्षा कि गई कि ग्रामीणों को पर्यावरणीय प्रदूषण के सम्बन्ध में मात्र हिन्दी भाषा का प्रयोग करते हुये जल,वायू, ध्वनि एवं मृद प्रदूषण नियंत्रण हेतू परियोजना में प्रस्तावित उपचार व्यवस्था के विवरण के साथ–साथ इस परियोजना के स्थापना से ग्रामीणों को मिलने वाले लाभ/रोजगार के सम्बनध में बताया जाये जिसके उपरान्त पुनः परियोजना के पर्यावरणीय/तकनीकी सलाहाकारो द्वारा परियोजना से संभावित प्रदूषण के नियंत्रण हेतू प्रस्तावित व्यवस्था को पुनः ग्रामीणों को बताया गया । अंत में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपस्थित ग्रामीणों एवं जन–साधारण को धन्यवाद देते हुये लोक सुनवाई की कार्यवाही के समापन करने की घोषणा की गई।

लोक सुनवाई के अंत में ग्रामीणों द्वारा दिये गये सुझावों एवं आपित्तयों को संज्ञान में लेते हुये लोक सुनवायी हेतु गठित पैनल के अध्यक्ष एवं लोक सुनवाई के सदस्य द्वारा, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं निस्तारण हेतु प्रस्तावित परियोजना के निर्माण एवं संचालन के दौरान पडने वाले कुप्रभाव को ध्यान में रखते हुये, प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिये जाने एवं आवश्यक कियान्वयन की शर्त के साथ, दशहरी गॉव में प्रस्तावित नगरीय ठोस अपशिष्ठ निस्तारण सम्बन्धी परियोजना की स्थापना हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान किये जाने पर विचार किये जाने की संस्तुति की जाती है :–

1– नगरीय ठोस अपशिष्ठ का परिवहन दशहरी गॉव के भीतर से कदापि न किया जावे, बल्कि गॉव के बाहर से परिवहन हेतु मार्ग बनाया जाये ।

2– नगरीय ठोस अपशिष्ठ का एकत्रण एवं कम्पोंस्टिगं का कार्य केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन क अनुसार लाईण्ड प्लेटफार्म पर किया जावे ताकि भूगर्भ जल प्रदूषण की समस्या न हो ।

24/12

3— नगरीय ठोस अपशिष्ठ के प्रंस्करण हेतु एकत्रण पृथक्कीकरण एवं कम्पोस्टिंग का कार्य प्रभावित गॉव दशहरी, रायपुर मजरे– सलेमपुर से कम से कम 200.00 मी0 की दूरी पर किया जाये ।

4— कम्पोस्टिंग, अपशिष्ठ एकत्रण एवं पृथक्कीकरण क्षेत्र से जनित लीचेट इत्यादि के एकत्रण एवं शुद्धीकरण संयंत्र तक ले जाने हेतु अलग से पक्की नाली बनायी जावे ।

5— परियोजना हेतु अधिग्रहण की जा रही जमीन पर खडे फलदार वृक्षों को न काटा जावे, बल्कि वृक्षों को ग्रीन बेल्ट के रूप में प्रयोग में लाया जावे ।

6— चूंकि चौधरी चरण सिह हवाई अड्डा से प्रस्तावित परियोजना 14.0 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है अतएवं एअरपोर्ट यथारिटी आफ इंडिया से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करके ही परियोजना की स्थापना शुरू किया जाये ।

7— परियोजना से जनित (लीचेट) प्रदूषित जल को राज्य बोर्ड के मानकों के अनुरूप शुद्धीकृत कर, परियोजना परिसर में ही, हरित पट्टिका के विकास एवं पेड़ पौधों की सिंचाई हेतु प्रयोग में लाया जावे तथा किसी भी दशा में उत्प्रवाह को परिसर से बाहर निस्तारित न किया जावे ।

8— परियोजना से सम्बन्धित कार्यालय 'प्रयोगशाला, आवासीय व्यवस्था एवं अन्य अप्रदूषणकारी व्यवस्थाओं की स्थापना दशहरी एवं रायपुर गॉव की तरफ इस प्रकार से किया जावे कि प्रभावित गॉवों में दुर्गन्ध इत्यादि की समस्या कम से कम हो ।

9— प्रस्तावित परियोजना के सेक्योर्ड लैण्ड फिल से जनित गैसीय उत्सर्जकों को वेन्ट पाइप लाईनके माध्यम से निस्तारित करने के बजाय जलाये जाने का (फ्लेयर करने) का प्राविधान सुनिश्चित किया जावे ।

10— यथा सम्भव खाली पड़ी बन्जर जमीन पर ही कम्पोस्टिंग/सेक्योर्ड लैण्ड फिल यार्ड की स्थापना किया जावे ।

11— प्रस्तावित परियोजना से गुजर रही हाईटेन्शन लाईन से कम से कम 200 मी0 दूरी पर सेक्योर्ड लैण्ड फिल कम्पोस्टिंग क्षेत्र विकसित किया जावे ।

12— परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की फैन्सिंग करायी जावे ताकि बाहरी पशुओं/जानवरों का प्रवेश रोका जा सके ।

13— परियोजना के निर्माण व संचालन के दौरान कार्मिकों को आवश्यक सुरक्षा उपाय संसाधन मुख्यतः गमबूट दस्ताना, मास्क, सेफ्टी कैप, ईयर प्लग एवं प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित किया जावे ।

14— अधिकतम् सूचित 480 कि0ली0/घंटा जनित लीचेट के शोधन हेतु उपयुक्त उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना सुनिश्चित किया जावे, जिसका तकनीकी विवरण प्राप्त किया जावे ।

15— प्रस्तावित परियोजना से जनित रोजगार का अधिकाधिक लाभ प्रभावित ग्रामीणों को दिया जावे ।

16— प्रभावित गॉवों में मुख्यतः बरसाती जल की निकासी हेतु उचित व्यवस्था विकसित किया जावे ताकि जल भराव की समस्या न हो ।

17— नगरीय ठोस अपशिष्ठ में मृत पशुओं/जानवरों को कदापि निस्तारित न किया जावे एवं न ही स्लाटर हाउस से जनित ओफ़ल/निष्प्रयोज्य फ्लेसिंग को नगरीय ठोस अपशिष्ठ में, निस्तारित किया जावे ।

30/12

18— नियमित अन्तराल पर प्रस्तावित योजना से प्रभावित ग्रामीणों की चिकित्सीय जॉच एवं औषधियो की व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जाये ।

19—यथा—सम्भव प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों को सुलभ शौचालय की व्यवस्था मुहैय्या कराया जाये ।

20— नगरीय ठोस अपशिष्ठ के प्रंस्करण एवं कम्पोस्ट खाद की स्क्रीनिग/रिफाइनिंग के दौरान जनित प्रकिया उत्सर्जकों के नियंत्रण हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र के रूप में उपयुक्त क्षमता का डस्ट कलेक्टर/मल्टी साइक्लोन स्थापित किया जावे ।

21— नगरीय ठोस अपशिष्ठ का परिवहन बन्द गाड़ियों के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जावे

22— परियोजना से निर्मित कम्पोस्ट खाद को रियायती दरों पर प्रभावित किसानों को उनकी जोत के आधार पर दिये जाने की व्यवस्था किया जावे ।

23— परियोजना क्षेत्र में स्कूल से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर अपशिष्ठ एकत्रण एवं प्रस्करण क्षेत्र रखा जाये ।

24— बरसात के दौरान स्थल पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ठ एवं कम्पोस्ट क्षेत्र में स्थापित बिन्डरोज को कबर करने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जावे ।

25— परियोजना के संचालन के दौरान जनित वायु/ध्वनि एवं जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने एवं अन्य पर्यावरर्णीय बिन्दुओ पर आवश्यक सुधार हेतु एक समिति का गठन किया जावे, जिसके प्रभावित ग्रामीणों को सदस्य के रूप मे रखा जाये ।

26— जमा प्रस्ताव के अनुसार परियोजना के निर्माण के दौरान जनित जल,वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उपयुक्त व्यवंस्था सुनिश्चित किया जावे ।

27—परियोजना में दिये गये प्रस्ताव के अनुरूप एरोमैटिक पौधों का रोपड़ कर हरित पट्टिका का विकास किया जाये ।

28— दुर्गन्ध नियंत्रण हेतु सूचित वैज्ञानिक विधि के अनुसार विशिष्ठ हर्वी साइड का प्रयोग किया जावे ।

29— प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत भूगर्भ जल गुणता की जॉच हेतु 120 अंश के कोण पर सैलों बोर के हैण्ड पम्पों की स्थापना किया जावे तथा नियमित अन्तराल पर जलगुणता की जॉच कराया जावे ।

30— नगरीय ठोस अपशिष्ठ के प्रबन्धन एवं निस्तारण के दौरान जनित मक्खी, कीड़े मकोड़े पशु—पक्षियों के अतिकमण को रोकने हेतु प्रभावी उपाय सुनिश्चित किया जावे ।

31— नगरीय ठोस अपशिष्ठ में जैव चिकित्सीय अपशिष्ठ को कदापि न मिश्रित किया जावे एवं न ही परियोजना स्थल पर संवहन कर निस्तारित किया जावे ।

32— परियोजना स्थल के चारों तरफ, मुख्यतः प्रभावित गॉवों की तरफ हरित पट्टिका को पर्याप्त चौड़ी रखा जावे ।

33— परिवेशीय वायु गुणता की नियमित जॉच हेतु प्रभावित गॉवों का संज्ञान में रखते हुये 120 अंश के कोण पर वायु गुणता अनुश्रवण स्टेशन स्थापित कर वायु गुणता की जॉच कर यथा आवश्यक सुधार सुनिश्चित किया जावे ।

34— सेक्योर्ड लैण्डफिल का निर्माण व संचालन, जमा प्रस्ताव के अनुसार सेक्योर्ड लैण्ड फिल क्षेत्र के चारो तरफ बफर जोन बनाया जावे तथा भविष्य में बफर जोन के भीतर किसी भी प्रकार का विकास कार्य निषिद्ध रखा जावे ।

30/12

35-- यथा सम्भव नगरीय ठोस अपशिष्ट से पुनः चक्रणीय अपशिष्ठों का पृथक्कीकरण अपशिष्ठ एकत्रण के दौरान ही सुनिश्चित कराया जावे ।

36-- दिनॉक 30.12.09 की लोक सुनवाई की सी0डी0/उपस्थिति सीट पर्यावरर्णीय अनापत्ति पर निर्णय लेने से पूर्व अवलोकित किया जावे । लीचेट एवं स्टार्म वाटर ड्रेन अलग-अलग बनायी जाये तथा स्टार्म वाटर ड्रेन में लीचेट का निस्तारण कदापि न किया जावे ।

37-- प्रस्तावित परियोजना में कम्पोस्टिंग क्षेत्र, नगरीय ठोस अपशिष्ठ एकत्रण क्षेत्र, विभिन्न भवनों, उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र क्षेत्र, सेक्योर्ड लैण्डफिल क्षेत्र, हरित पट्टिका, सन्निकट स्थित गॉवों की लोकेशन एवं दूरी सहित ले आऊट प्लान, परियोजना प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना प्रस्तावकों से प्राप्त किया जाये। साथ --साथ अधिग्रहीत समस्त भूमि का ब्यौरा भी दिया जावे ।

38-- यदि परियोजना में डी0जी0 सेट की स्थापना किया जायेगा तो पर्यावरण अधिनियमों के अन्तर्गत ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकास्टिक एन्क्लोजर के साथ राज्य बोर्ड के मानक के अनुरूप अनुमन्य ऊँचाई की चिमनी भी स्थापित किया जाये ।

(एस0के0मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

(आर0के0सिंह) 30/12/09
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
लखनऊ

जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ

30/12/09

लखनऊ नगर निगम हेतु लखनऊ शहर (उ0प्र0) से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ठ के एकत्रण, परिवहन प्रबन्धन एवं सुरक्षित निपटान हेतु उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा सेनिटरी लैण्डफिल एवं कम्पोस्टिंग हेतु प्रस्तावित साइट, ग्राम– दशहरी, हरदोई रोड, लखनऊ हेतु पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित दिनॉक– 30.12.09 को सम्पन्न लोक सुनवाई मे उपस्थित जन– की उपस्थिति का विवरण :

स्थान :– ग्राम–दशहरी में लैण्डफिल हेतु चयनित स्थल, लखनऊ ।

दिनॉक– 30.12.09
समय : अपरान्ह 2.00 बजे

जन–उपस्थिति सीट

क0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	राकेश कुमार सिंह	अपर जिलाधिकारी प्रशासन लखनऊ	[signature]
2	श्री श्री कान्त मिश्र	क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्र0 नि0 बोर्ड	[signature]
3	स्वामी नाथ राय	मुख्य पर्यावरण अधिकारी, CEO, उ0प्र0 प्र0 नि0 बोर्ड	[signature]
4	एस.के. जैन	मुख्य अभियन्ता लखनऊ नगर निगम	[signature]
5	प्रमेन्द्र श्रीवास्तव	महाप्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0 लखनऊ	[signature]
6	आर0 के0 गौड़	तकनीकी सलाहकार ... लखनऊ	
7	एस0 पी0 सिंह चौहान	परि0 प्रबन्धक, सी0-एण्ड-डी0एस0 लखनऊ	[signature]
8	कमल कुमार	... यूनिट -06 सी एण्ड डी एस उ0 प्र0 जल निगम	[signature]
9	जी. पी. यादव	पर्यावरण अधिकारी नगर निगम लखनऊ	[signature]
10	वी. एन. गुप्ता	सहायक अभियन्ता नगर निगम लखनऊ	[signature]
11	एस0 के0 यादव	प0 प्र0 Unit 6 C&DS Jal Nigam Lko	[signature]
12	[illegible]	[illegible]	[signature]
13	आर0 के0 त्रिपाठी	क्षेत्रीय अधिकारी, UPPCB LKO	[signature]

	नाम	पता	हस्ताक्षर
4	[illegible]	दरहटी	[illegible]
15	रामेन्द्र कुमार	रायपुर	रामेन्द्र कुमार
16	प्रेम कुमार	रायपुर	प्रेम कुमार
17	मनोज कुमार	रायपुर	[signature]
18	कौशलेन्द्र सिंह	रायपुर	[signature]
19	रविन्द्र	रायपुर	रविन्द्र
20	viney kumar	रायपुर	viney kumar
21	सन्तोष यादव	रायपुर	Santosh
22	सुशील कुमार	रायपुर	सुशील कुमार
23	[illegible]	रायपुर	
24	रामसिंह	रायपुर	
25	श्यामलाल	रायपुर	
26	प्रदीप	दरहटी	
27	अहमद अली	रायपुर	
28			
29	इस्माईल	रमपुर	इस्माईल
30	[illegible]	दलहटी	
31	हीरालाल यादव	रायपुर	हीरालाल यादव
32	रामनरेश	रायपुर	रामनरेश
33	पप्पू कनौजिया	दरहटा	पप्पू कनौजिया
34	छोटेलाल	″	
35	राजकुमारी	दरहटी	राजकुमारी

36	रवीश यादव	रायपुर	[illegible]
37	राधे	दराहरी	
38	रामकिशोर	~~रर~~ रामपुर	R.yadav
39	हरिओम	रायपुर	Hariom
40	चूरी	रायपुर	
41	प्रवेन्द्र	रायपुर	प्रवेन्द्र
42	रामजीवन	रायपुर	
43	रामऔतार	रायपुर	
44	राजू	दराहरा	राजू
45	राजेश	रायपुर	राजेश
46	तिलक सिंह लेखपाल ह.	दराहरी	[illegible]
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			